

(क) कार्यालय निरीक्षण :-

क्र.	कार्यालय	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या
1.	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त / अपर आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार
	उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता	आबकारी आयुक्त / अपर आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार
2.	उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता	आबकारी आयुक्त / अपर आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार
3.	सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	1. आबकारी आयुक्त / अपर आयुक्त आबकारी	दो वर्ष में एक बार
		2. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता	वर्ष में एक बार
		3. सहायक आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार
		4. जिला आबकारी अधिकारी	वर्ष में एक बार
4.	कार्यालय प्रभारी अधिकारी, डी-1, एफ.एल.9, एफ.एल.9-क एवं एफ.एल.-10	उपायुक्त आबकारी मुख्यालय (संभागीय उड़नदस्ता)	वर्ष में एक बार
5.	वृत्त कार्यालय	1. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता	संभाग के प्रत्येक जिले का एक वृत्त प्रत्येक वर्ष।
		2. सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी, संभागीय उड़नदस्ता	प्रत्येक वर्ष संभाग के प्रत्येक जिले का एक वृत्त
		3. सहायक आयुक्त आबकारी(जिला प्रभारी)	वर्ष में एक बार प्रत्येक वृत्त
		4. जिला आबकारी अधिकारी(जिला प्रभारी)	वर्ष में एक बार प्रत्येक वृत्त
		5. सहायक जिला आबकारी अधिकारी (यदि वृत्त के प्रभार में उप निरीक्षक पदस्थ है।)	वर्ष में एक बार प्रत्येक वृत्त
6.	मद्य भाण्डागार	1. उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता	प्रत्येक मद्य भाण्डागार वर्ष में एक बार

		2.	सहायक आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता	प्रत्येक मद्य भांडागार वर्ष में एक बार।
		3.	जिला आबकारी अधिकारी, संभागीय उड़नदस्ता	प्रत्येक मद्य भाण्डागार वर्ष में एक बार
		4.	सहायक आयुक्त आबकारी (जिला प्रभारी)	प्रत्येक मद्य भाण्डागार वर्ष में दो बार
		5.	जिला आबकारी अधिकारी (जिला प्रभारी)	प्रत्येक मद्य भाण्डागार वर्ष में दो बार
		6.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी (यदि मद्य भाण्डागार का प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक है।)	त्रैमासिक

(ख) अन्य महत्वपूर्ण अनुज्ञप्तियां :-

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या
1.	डी-1 एवं इसके साथ दिये गये एफ.एल.9, एफ.एल.9 क लायसेंस यदि इनके प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) हैं।	1. उपायुक्त आबकारी मुख्यालय / सहायक आयुक्त आबकारी, (संभागीय उड़नदस्ता)	वर्ष में एक बार
2.	डी-1 एवं इसके साथ दिये गये एफ.एल.9, एवं एफ.एल.9क लायसेंस यदि इनके प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी के पद के नीचे के अधिकारी हैं	1. उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता	वर्ष में एक बार
		2. जिले के सहायक आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता / जिला आबकारी अधिकारी	वर्ष में एक बार
3.	स्वतंत्र रूप से दिये गये एफ.एल. 10	1. उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता	वर्ष में एक बार

		2.	जिले के सहायक आयुक्त आबकारी,	वर्ष में एक बार।
--	--	----	------------------------------	------------------

(ग) अन्य अनुज्ञप्तियों का निरीक्षण :-

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या	
1.	देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकाने	1.	उपायुक्त आबकारी सहायक आयुक्ता आबकारी अधिकारी, उड़नदस्ता (संभागीय उड़नदस्ता)	प्रत्येक अधिकारी द्वारा 6 केन्द्र प्रतिमाह
		2.	सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	जिला मुख्यालय में प्रत्येक केन्द्र तीन माह में एक बार, शेष प्रत्येक केन्द्र वर्ष में एक बार
		3.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	जिला मुख्यालय में प्रत्येक केन्द्र माह में एक बार शेष प्रत्येक केन्द्र वर्ष में दो बार
		4.	वृत्त का प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी / आबकारी उप निरीक्षक	मुख्यालय स्थित केन्द्र साप्ताहिक अन्य मासिक
2.	मनोरंजन केन्द्र	1.	उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी, संभागीय उड़नदस्ता	प्रत्येक अधिकारी दो छबिगृह प्रतिमाह
		2.	सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी / सहायक जिला आबकारी अधिकारी संभागीय उड़नदस्ता	छोनो अधिकारी मिलकर सभी मनोरंजन केन्द्र वर्ष में दो बार
		3.	वृत्त का प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी / उप निरीक्षक	प्रत्येक मनोरंजन केन्द्र का माह में दो बार